



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265097
CG-DL-E-30072025-265097

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463।

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 463।

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 506(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय अवर सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, अवर सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता—** वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम। | पदों की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। | चयन पद है या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। |
|------------|---|---|--|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| अवर सचिव। | 08*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय। | स्तर-11 (67700 रु. से 208700 रु. तक)। | चयन। | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। |

| | |
|--|--|
| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
| (10) | (11) |

| | |
|---|--|
| <p>प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> | <p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600 – 151100 रु.) में ऐसे अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है तथा सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> |
| <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47600 – 151100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास प्रशासन संबंधी पांच वर्ष का अनुभव है जिसमें संसदीय या विधायी कृत्यों में एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित है।</p> |
| | <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

| | |
|--|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12) | (13) |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य
3. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन) संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य

टिप्पणी: जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

[फा. सं. 4/1/2024-प्रशासन]

मुकेश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs, Under Secretary, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Under Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Under Secretary, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2025.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Methods of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,—
 - who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of posts. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. |
|-------------------|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Under Secretary. | 08*(2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted Ministerial. | Level-11 (Rs.67700 to 208700) | Selection. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--|--|------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Two years. |

| | |
|---|---|
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. |
| (10) Promotion failing which by Deputation. | (11) Promotion: Section Officer in level - 8 (Rs.47600—151100) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in relevant field. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. |

| | |
|--|--|
| | <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central or State or Union Territory Government.—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing five years' administrative experience including one year in Parliamentary or Legislative functions.</p> <p>Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central or State or Union Territory Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> |
|--|--|

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— | <p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion, except as provided in Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs - Member</p> <p>3. Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn.), Ministry Of Parliamentary Affairs - Member</p> |

Note: Where none of the members at serial numbers 1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.

[F. No. 4/1/2024-Admn.]

MUKESH KUMAR, Dy. Secy.